न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 214/14

मनीष उर्फ सुखविन्दर आत्मज जसपाल सिंह, जाति सिक्ख निवासी 439 इन्कमटैक्स आफिस के सामने, साजिदेहडा, किशोरपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1. सुरजीत सिंह पुत्र नवजोत सिंह
2. रणजीत सिंह पुत्र बजैत सिंह
3. जसपाल सिंह पुत्र बजैत सिंह
   जाति सिक्ख, निवासीगण ग्राम कैथोडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
4. सुरेन्द्र सिंह आत्मज जानकीलाल
5. कौशल किशोर पुत्र जानकीलाल
   जाति ब्राहमण, निवासी झालीपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट
बाबत विभाजन आराजी, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 14.11.2018

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री जितेन्द्र चौरसिया
प्रतिवादी अभिभाषक श्री हेमराज मीणा, श्री हेमन्द दाधीच व श्री प्रदीप मेहरा

निर्णय

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विभाजन आराजी, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि –
ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा में खसरा न0 810 की रकबा 0.79 है0 तथा खसरा न0 813 की रकबा 2.37 है0 कुल दो किता की रकबा 3.16 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की एक मात्र खातेदार वादी की दादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 की माता श्रीमति गुरूदयाल कौर पत्नि बजैत सिंह थी। वादी के दादा श्री बजैत सिंह के द्वारा ही उक्त भूमि को वादी की दादी के नाम से खरीद किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण राशी वादी के दादाजी बजैत सिंह द्वारा ही अदा की गई थी। वादी की दादी के तीन पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 है तथा सभी का उपरोक्त आराजीयात में वादी की दादी के साथ समान हक व अधिकार है, वादी के दादाजी की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त आराजीयात वादी के दादाजी बजैत सिंह द्वारा ही स्व अर्जित आय से अपनी पत्नि श्रीमति गुरदयालकौर के नाम से खरीद की थी, इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है तथा सभी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 का समान अधिकार उक्त भूमि मे निहित है। वादी प्रतिवादी न0 3 का पुत्र है जिसको प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

न0 3 द्वारा अपनी माता सहित घर से निकाल दिया गया है। इस कारण प्रतिवादी न0 3 जिसका की उक्त भूमि में वादी की दादी का स्वर्गवास हो जाने से 1/4 हिस्स निहित है में 1/2 हिस्सा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की दादी से प्रतिवादी न0 2 ने चुपचाप उनके कागज पर निशानी अंगूठे करवा लिये तथा फर्जी व बनावटी वसीयत बना ली तथा वादी की दादी की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी ने उक्त बनावटी व फर्जी तथा बोगस वसीयत के आधार पर इन्तकाल खुलवा कर सारी भूमि अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा जी जबकि प्रतिवादी न0 3 का मात्र उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही निहित है। प्रतिवादी न0 2 ने चुपचाप उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 813 की 2.37 है0 भूमि को अवैध रूप से प्रतिवादी न0 4 व 5 को बेचान कर दिया गया है जो नल एण्ड वोयड है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पास जाकर प्रतिवादी न0 3 जो कि वादी का पिता है के हिस्सा 1/4 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि देने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा भूमि देने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी न0 2 द्वारा यह बताया गया कि उक्त भूमि का वह एक मात्र मालिक व खातेदार है जिसके पक्ष में वादी की दादी ने वसीयत आलेखित कर दी थी तथा उसके द्वारा कुछ भूमि को बैचान भी कर दिया गया है व अब शेष भूमि को भी वह बेचान कर देगा तथा वादी को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन व बैय कर नष्ट करने के प्रयास मे है ताकि वादी जो कि प्रतिवादी न0 3 का पुत्र है, अपने पिता के हिस्सा 1/4 भूमि में कोई भूमि प्राप्त न कर सके व सदैव के लिए वंचित हो जावे। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी को विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 3 के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, प्रतिवादी क्रम 4 व 5 को किया गया बेचान नल एवं वोईड घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगणे को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जावे कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन, बैय आदि नहीं करे न ही राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन ही करवावे।

प्रतिवादी न0 1, 2 व 3 ने दावा का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि वादीगण के दावा के मदवार कथन अस्वीकार है। जबाव पेश करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 ने विशेष आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमति गुरूदयाल कौर ने अपने पति बजैत सिंह जी की मृत्यु के बाद में पेंशन की प्राप्त आय से ही उक्त विवादित जमीन खरीद की थी जो कि स्वयं की स्वअर्जित सम्पत्ति है, पैतृक सम्पत्ति नहीं है। श्रीमति गुरदयाल कौर बजैत सिंह की दूसरी पत्नी थी। बजैत सिंह ने अपने जीवनकाल में स्वयं के खाते की 4–5 बीघा जमीन का बेचान कर दिया था। उक्त आराजी पर केवल श्रीमति गुरदयाल कौर का खातेदारी अधिकार था जिसके अनुसार ही स्वयं ने ही रणजीत सिंह के नाम वसीयत आलेखित की थी। वादी गुरदयाल कौर का पोता है जबकि वादी का पिता प्रतिवादी न0 3 भी पक्षकार है, प्रतिवादी न0 3 की ओर से वाद पत्र का समर्थन नहीं किया है इस कारण वादी को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त विवादित आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी न0 4 व 5 को विक्रय के आधार पर खाते में दर्ज है, इसलिए वादी का कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः वाद वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी न0 4 व 5 ने जबाव पेश कर दावा के मदवार कथन को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि विवादित भूमि की खसरा न0 810, 813 की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 2 के नाम सही रूप से दर्ज थी और उसी का कब्जा काश्त चला आ रहा था इस कारण प्रतिवादी न0 4 व 5 ने प्रतिवादी न0 2 से खसरा न0 813 की 2.37 है0 भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल की राशि अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर खरीद की है जिस पर प्रतिवादी न0 4 व 5 का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है। वादी न तो खातेदार है और न कब्जेदार है इस कारण वादी को वाद व दावा लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र की सहायता में प्रतिवादी न0 4–5 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड बेचान विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड घोषित किये जाने की प्रार्थना की है किन्तु इस सम्बन्ध में वादी ने अपने वाद पत्र में कोई प्लीडिंग नहीं की है। राजस्व न्यायलय को किसी भी विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार सिविल न्यायलय को प्राप्त है। वादी को सिविल न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए था।

ACM(P) Kota

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी न तो खातेदार है और न कब्जेदार है और न वादी का कोई हक हिस्सा है इस कारण वादी को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः वाद वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में पेश किये गये दावा, जवाब दावा एवं दस्तावेजात के अवलोकन कर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(क) आया विवादित आराजी को वादी के दादा श्री बजेतसिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से वादी की दादी के नाम क्रय किया गया था।

(ख) आया प्रतिवादी नं. 2 ने षडयन्त्रपूर्वक फर्जी, बनावटी वसीयत करवाकर आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया।

(ग) आया वादी अपने हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

(घ) आया वसीयत को बोगस या फर्जी कहना पूर्ण रूप से गलत है।

(ड) आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 813 का बेचान प्रतिवादी क्रम 4 व 5 को किया गया, वह नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का अधिकारी है।

4. पत्रावली के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। हमने अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात को निम्नानुसार तय किया गया –

(क) *आया विवादित आराजी को वादी के दादा श्री बजेतसिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से वादी की दादी के नाम क्रय किया गया था।*

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद में कथन किया गया है कि "वादी की दादी की कोई आय नहीं थी। वादी के दादा श्री बजैत सिंह के द्वारा ही अपनी स्वअर्जित आय से उक्त भूमि को वादी की दादी के नाम से खरीद किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण राशी वादी के दादाजी बजैत सिंह द्वारा ही अदा की गई थी।" उक्त कथन के समर्थन में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपनी जिरह के दौरान यह भी कहा गया है कि "उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि आराजी पैतृक है। पैतृक सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई दस्तावेज मेरे द्वारा पेश नहीं किया गया है। साथ ही अपनी जिरह में यह भी कथन किया कि गुरूदयाल कौर द्वारा रणजीत सिंह के पक्ष में जिस समय वसीयत की गई थी, उस समय गुरूदयाल कौर अचेतन अवस्था में थी जबकि अपनी ही जिरह में वादी द्वारा आगे कथन किया है कि वसीयत की रजिस्ट्री करवाते समय मेरी दादीजी किस अवस्था में थी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में कथन किया गया है कि 1971 में मेरी मां को पिताजी की पेंशन मिलती थी। पंजाब से जो भी हिसाब किताब करके आये थे वो सारा पैसा मेरी मॉ के पास था। मेरी मां के पास पेंशन का पैसा भी इकट्ठा हो गया था। पेंशन द्वारा प्राप्त राशि से खरीदी की गई है।"

RRD-14-7-2009, Page: 423-426 के बिन्दु 7 भी उल्लेखित है कि –

> It is, indeed, a settled principle of law that it is for the plaintiff to establish his case by producing cogent and convincing evidence. Since the respondent had denied the fact that the land in dispute was ancestral in nature, obviously it was for the petitioner to establish the fact that the land in dispute was, indeed, ancestral in nature. It is clearly noted that the petitioner ditnot submit any document to prove the fact that the land in question was ancestral in nature. In the absence of any such evidence, the Board has rightly interpreted that the land in question was a self-accuired property.

इस प्रकार से वादी अपने दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी को अपने दादा की स्वअर्जित आय से दादी के नाम से क्रय किया जाना, सिद्ध करने में असफल रहा है। यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

Manish.Surjeet.14.11.2018

ACM (P), Kota

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

(ख) *आया प्रतिवादी नं. 2 ने षडयन्त्रपूर्वक फर्जी, बनावटी वसीयत करवाकर आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया।*

As per Section 61 in The Indian Succession Act, 1925, we know -

Will obtained by fraud, coercion or importunity. —A Will or any part of a Will, the making of which has been caused by fraud or coercion, or by such importunity as takes away the free agency of the testator, is void. Illustrations

(i) A, falsely and knowingly, represents to the testator, that the testator's only child is dead, or that he has done some undutiful act and thereby induces the testator to make a will in his, A's favour; such Will has been obtained by fraud, and is invalid.

(ii) A, by fraud and deception, prevails upon the testator to bequeath a legacy to him. The bequest is void.

(iii) A, being a prisoner by lawful authority, makes his Will. The Will is not invalid by reason of the imprisonment.

(iv) A, threatens to shoot B, or to burn his house or to cause him to be arrested on a criminal charge, unless he makes a bequest in favour of C. B, in consequence, makes a bequest in favour of C. The bequest is void, the making of it having been caused by coercion.

(v) A, being of sufficient intellect, if undisturbed by the influence of others, to make a Will yet being so much under the control of B that he is not a free agent, makes a Will dictated by B. It appears that he would not have executed the Will but for fear of B. The Will is invalid.

(vi) A, being in, so feeble a state of health as to be unable to resist importunity, is pressed by B to make a Will of a certain purport and does so merely to purchase peace and in submission to B. The Will is invalid.

(vii) A, being in such a state of health as to be capable of exercising his own judgment and volition, B uses urgent intercession and persuasion with him to induce him to make a Will of a certain purport. A, in consequence of the intercession and persuasion, but in the free exercise of his judgment and volition makes his Will in the manner recommended by B. The Will is not rendered invalid by the intercession and persuasion of B.

(viii) A, with a view to obtaining a legacy from B, pays him attention and flatters him and thereby produces in him a capricious partiality to A. B, in consequence of such attention and flattery makes his Will, by which he leaves a legacy to A. The bequest is not rendered invalid by the attention and flattery of A.

इस क्रम में प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत वसीयत पेश की गई है जिसे वादी द्वारा फर्जी व बनावटी उल्लेखित किया है किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। तनकी क्रम 1 के विवेचन अनुसार वादी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गुरूदयाल कौर द्वारा रणजीत सिंह के पक्ष में जिस समय वसीयत की गई थी, उस समय गुरूदयाल कौर अचेतन अवस्था में थी जबकि अपनी ही जिरह में वादी द्वारा आगे कथन किया है कि वसीयत की रजिस्ट्री करवाते समय मेरी दादीजी किस अवस्था में थी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वादी गवाह क्रम 2 (वादी की मॉ) ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मेरी जानकारी में नहीं है कि वसीयत की गई है। प्रतिवादी गवाह ने अपनी जिरह में वादी के कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वसीयत के समय मेरी मॉ सही अवस्था में थी। इस प्रकार वादी वसीयत को फर्जी व बनावटी सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(ग) *आया वादी अपने हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।*

इस सम्बन्ध में तनकी क्रमांक 1 व 2 का विवेचन करने पर हम पाते है कि वादी विवादित आराजी के सम्बन्ध में की गई वसीयत को फर्जी व बनावटी सिद्ध करने तथा विवादित आराजी की खरीद राशि को पैतृक सिद्ध करने में असफल रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है विवादित आराजी में वादी का स्वयं का हिस्सा होना सिद्ध नहीं है और वादी

ACM (D), Kota

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(घ) *आया वसीयत को बोगस या फर्जी कहना पूर्ण रूप से गलत है।*

प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मूल वसीयतनामा पेश किया गया है, जो उप पंजीयक–प्रथम, कोटा के कार्यालय में दिनांक 04.02.2011 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द 60 में पृष्ठ संख्या 6 क्रम संख्या 2011000029 पर पंजीबद्ध किया गया। तनकी सं. 2 क हमने गहनता से मनन किया एवं पाया कि वसीयत को फर्जी या बोगस सिद्ध नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

(ड) *आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 813 का बेचान प्रतिवादी क्रम 4 व 5 को किया गया, वह नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का अधिकारी है।*

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी 4–ए, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2013 से आराजी खसरा नम्बर 813 का बेचान किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी, विवादित आराजी को पैतृक सिद्ध करते हुये उसमें स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के लिये विवादित खसरा नम्बर के पंजीकृत बेचान को प्रभाव शून्य करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में, प्रथमत, यह सिद्ध होना आवश्यक है कि वादी का विवादित आराजी में हिस्सा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण Modu Ram Vs. Board of Revenue & ors [2015 (3) WLN 284 (Raj.)] में उल्लेखित है

> "So far as the plea raised by learned counsel for the petitioner that the jurisdiction to cancel the sale deed is exclusively with the civil court and therefore, the same is necessarily barred before the Revenue Court, is concerned, the said aspect has been comprehensively dealt with in the case of Jaswant Singh (supra) and Rukmani (supra), wherein it has been held that if the sale deed is claimed to be void and/or the cancellation thereof is merely ancillary to the main relief of declaration and partition, the said relief can be granted by the Revenue Court as well and it cannot be said that the jurisdiction of the Revenue Court is affected thereby."

वादी, विवादित आराजी में, यदि अपना हिस्सा सिद्ध कर देता है तो ही वह विवादित आराजी के बेचान को प्रभाव–शून्य घोषित करवाये जाने का अधिकारी है। विवादित आराजी में वादी का हिस्सा सिद्ध नहीं होने के कारण आराजी का पंजीकृत बेचान प्रभाव शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का कथन न्यायसंगत नहीं होने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

5. उपर्युक्तानुसार तनकीयात के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी, विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है तथा आराजी पर कब्जे काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई वसीयत एवं विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज होने तथा वादी के विवादित आराजी में अपना हिस्सा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)

बउनवान :–

मनीष उर्फ सुखविन्दर आत्मज जसपाल सिंह, जाति सिक्ख निवासी 439 इन्कमटैक्स आफिस के सामने, साजिदेहडा, किशोरपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1. सुरजीत सिंह पुत्र नवजोत सिंह
2. रणजीत सिंह पुत्र बजैत सिंह
3. जसपाल सिंह पुत्र बजैत सिंह
   जाति सिक्ख, निवासीगण ग्राम कैथोडी, तहसील लाडपुरा, कोटा
4. सुरेन्द्र सिंह आत्मज जानकीलाल
5. कौशल किशोर पुत्र जानकीलाल
   जाति ब्राहमण, निवासी झालीपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 88, 89, 91, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 214 / 14
निर्णय दिनांक : 14-11-2018

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक श्री जितेन्द्र चौरसिया एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री हेमराज मीणा, श्री हेमन्द दाधीच व श्री प्रदीप मेहरा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 14–11–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई वसीयत एवं विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज होने तथा वादी के विवादित आराजी में अपना हिस्सा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 14.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner